


आदेश

अभिलेख उपस्थापित। पूर्व में जमाबंदी रैयत को नाटिस निर्गत किया गया था, परन्तु कतिपय कारणवश अभिलेख में नाटिस निर्गत करने के आदेश के पश्चात कोई कार्रवाई का आदेश अकिंत नहीं है।


पुनः नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-20.08.2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
पूर्वी टुण्डी।

20.08.20
27.01.22

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुचीबद्ध है। जमाबंदीदर रैयत/उनके वंशज द्वारा निर्धारित तिथि को अनुस्थित है। पूर्व में भी जमाबंदीदर रैयत/उनके वंशज को नोटिस निर्गत किया गया था, परन्तु उनके द्वारा अब तक उक्त से संबंधित कोई भी दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित चेक-लिस्ट का गहनतापूर्वक जांच कर स्पष्ट मन्तव्य की माँग करें।

अभिलेख दिनांक-10.03.22 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

14.3.22


अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय संकल्प सं0-6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी रद्द करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-रघुनाथपुर थाना सं0-286 के गत सर्वे खाता-71 खेसारा-624 अंश रकबा-1.00 ए0 भूमि की कायम जमाबन्दी सं0-49 संदिग्ध प्रतीत होती है। उक्त गैर आबाद खाते की भूमि का दिनांक 1.1.1946 से पुर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।


पदाधिकारी का आदेश

अभ्युक्ति

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-(4H) के तहत जमाबन्दी पंजी-2 में कायम जमाबन्दी सं0-49 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखपित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।


अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।